Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding waiving off the educational loan of the students who died before ecompleting the education.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मेरठ के किसान हैं – रघुराज सिंह। उनके पुत्र विवेक सांगवान ने बी.टेक. की शिक्षा हेतु पीएनबी की जानी शाखा से 2009 में शिक्षा के लिए तीन लाख तेरह हजार रुपये का लोन लिया था। बी.टेक. की अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के बाद विवेक सांगवान को कैंसर हो गया, पिता ने निजी स्तर पर जमीन बेचकर पैसों का इंतजाम करके उसका इलाज कराया, परन्तु विवेक सांगवान को बचाया नहीं जा सका और 1 नवम्बर, 2013 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात् छात्र के पिता रघुराज सिंह को बैंक के द्वारा निरन्तर कर्ज का सहऋणी मानते हुए, कर्ज की वसूली हेतु नोटिस दिए जा रहे हैं तथा ऋण भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी जा रही है। एक गरीब किसान, अगर वह गरीब न होता तो उसका बेटा कर्ज क्यों लेता, जो पहले ही अपने पुत्र को गवां चुका है तथा आर्थिक दृष्टि से भी बर्बाद हो चुका है, बैंक के ऋण का भुगतान करना उसके लिए संभव नहीं है।

महोदय, शिक्षा ऋण हेतु किसी भी अन्य व्यक्ति के गारन्टर होने अथवा किसी अन्य गारन्टी की अनिवार्यता नहीं होती है। साथ ही, बैंक द्वारा शिक्षा ऋण लेने वाले का बीमा भी करवाया जाता है। ऐसे में मृतक छात्र के पिता रघुराज सिंह पर ऋण भुगतान के लिए बैंक द्वारा दबाव बनाना बहुत ही अनुचित है। मेरा आपके माध्यम माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त मामले का त्वरित संज्ञान लें। यह एक इमरजेंसी केस है, रोज रघुराज सिंह बहुत परेशान रहते हैं, उनको राहत प्रदान करने की कृपा करें।

यह बजट सत्र है, इसलिए मैं विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे छात्र-छात्राओं, जिनकी मृत्यु शिक्षा ऋण लेने के पश्चात्, शिक्षा के दौरान ही हो जाती है,

उनके शिक्षा ऋण को माफ करने का स्पष्ट नीतिगत निर्णय लेने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, श्री गणेश सिंह, डॉ. निशिकांत दुबे और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।